

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... बयाना

किस्त मुकदमा..... जानकी देवी आदि..... बनाम..... सुशर्मा..... सन 2012

कास 53110002

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
01/11/2021	<p>द्वारा दली (अस्थायी) प्रतिपादनी का जारी हुकम नया काउ पशवली दिनांक 04/10/2021 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बयाना, जिला : भरतपुर, राज.</p> <p>पीठासीन अधिकारी..... को पेश हो</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/10/2021 को पेश हो</p> <p>एस.डी.ओ/एस.डी.एम नयाना</p>	
31/12/21	<p>द्वारा दली (अस्थायी) प्रतिपादनी का जारी हुकम नया काउ पशवली दिनांक 23/12/21 को पेश हो</p> <p>पीठासीन अधिकारी..... को पेश हो</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/21 को पेश हो</p> <p>एस.डी.ओ/एस.डी.एम नयाना</p>	
7/1/22	<p>द्वारा दली (अस्थायी) प्रतिपादनी का जारी हुकम नया काउ पशवली दिनांक 10/1/22 को पेश हो</p> <p>पीठासीन अधिकारी..... को पेश हो</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/1/22 को पेश हो</p> <p>एस.डी.ओ/एस.डी.एम नयाना</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/5  
26

प्रकरण पेश हुआ। पत्रावली व जलद  
दस्तावेजात लंबे तहसीलदार बयाना  
से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का उद्घाटन  
से अवलोकन किया गया। दावा  
जिसे योग्य है प्रकल्प को न्यायलय  
द्वारा जे फिं 13/2/25 को प्रकल्प  
जिसे किया गया है।

आदेश  
6

अतः दावा का किरीगण स्वीकार किया  
जाता है। दावा की मर खंड 1 में वर्णित  
अफराजीयात गाँव नदीगाँव तहसीलदार  
का स्वतंत्र/पञ्चकारान के मध्य किया  
जन तहसीलदार बयाना की कुरेजात  
रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/2982 दिं 28/7/25  
अनुसार किया जावे। तहसीलदार बयाना  
की उक्त कुरेजात रिपोर्ट निर्णय/डिली  
का पुनर् रद्द होगा।

पत्रावली में लल शूमार हीमर नंबर  
के कम को बाद-तकमिल दाखिल  
कतर को।

निर्णय आज दिनांक 13/5 को मरी  
द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय  
रुनाया गया।

मुकदमा न  
1.  
2

उप खण्ड अधिकारी  
बयाना (भरतपुर) जज